



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 23 जुलाई, 2013

श्रावण 1, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या जी-2-162/दस-2013-59-81

लखनऊ, 23 जुलाई, 2013

विज्ञापित
विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम 11(1) कन्द्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्द्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम 9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्द्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्द्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01-4-2013 से 8.7 प्रतिशत (आठ दशमलव सात प्रतिशत) होगी। यह दर 01 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू रहेगी।

आज्ञा से,
आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव